भाषण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: चुनौतियां और भावी दिशा
शक्तिकांत दास

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: चुनौतियां और भावी दिशा**

शक्तिकांत दास

एसोचैम के 15वें वार्षिक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। विशेषत: इसलिए क्योंकि यह एसोचैम का शताब्दी वर्ष है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और एसोचैम से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले कुछ वर्षों में, एसोचैम ने भारतीय व्यापार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को एक शक्तिशाली, सक्रिय, प्रगतिशील संगठन के रूप में बदला है। मुझे यकीन है कि उत्कृष्टता की दिशा में एसोचैम की यात्रा जारी रहेगी।

लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे देश में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और रोजगार के बड़े अवसर निर्माण करता है। एमएसएमई अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों को अपने में समाहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या कम करने में सहायक हैं। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक भी हैं और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के पूरे इको-सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इसलिए, एसोचैम द्वारा चुना गया आज के शिखर सम्मेलन का विषय -- 'एमएसएमई फंडिंग में संरचनात्मक सुधार'- अधिक सटिक और समीचीन नहीं हो सकता। आज मैं अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई के महत्व को रेखांकित करना चाहूंगा। मैं उनके सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उपायों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं भावी दिशा के रूप में कुछ मुद्दों को भी सूचीबद्ध करूंगा।

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6 मार्च 2020 को मुंबई में आयोजित 15वें एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के वार्षिक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में दिया गया भाषण।

I. अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण / अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक

भारत में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर कुछ शोधपरक तथ्यों को मैं उजागर करना चाहूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 6.3 करोड़ इकाइयों का विशाल नेटवर्क है तथा वर्ष 2016-17 [1] में सांकेतिक जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ महत्वपूर्ण योगदान है। कुल विनिर्माण उत्पादन में क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत[2] से भी अधिक थी। शेष अर्थव्यवस्था को एमएसएमई क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले विविध लाभों का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने अगले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक होने की अपेक्षा की है क्योंकि देश ₹ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था[3] की महत्वाकांक्षा रखता है।

वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ अनुमानित रोजगार था। एमएसएमई क्षेत्र के भीतर, तीन उप-क्षेत्रों में से प्रत्येक, अर्थात्, व्यापार, विनिर्माण और अन्य सेवाओं में कुल रोजगार का लगभग एक तिहाई रोजगार है। कुल एमएसएमई का लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है और कुल रोजगार का 45 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। दिलचस्प बात यह है कि एमएसएमई क्षेत्र[4] में कुल उद्यमों के 97 प्रतिशत रोजगार में सूक्ष्म उद्यमों का योगदान है। यह वह समस्या है जिसे बीच की अनुपस्थिति[5] कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि समय के साथ सूक्ष्म फर्में छोटी और मध्यम फर्मों में विकसित होने में असफल रही हैं। ऐसा लगता है कि इसने सूक्ष्म क्षेत्र को बड़े पैमाने की लागत का आनंद लेने, अचल संपत्तियों में निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

भारत के व्यापारिक निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19[6] में लगभग 48 प्रतिशत थी। जिसका तात्पर्य यह है कि

[1] वार्षिक रिपोर्ट, एमएसएमई मंत्रालय 2018-19.

[2] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: यू.के. सिन्हा), 25 जून, 2019.

[3] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, 24 सितंबर, 2019.

[4] वार्षिक रिपोर्ट एमएसएमई मंत्रालय 2018-19.

[5] क्रूगर, ए. ओ. (2013). दि मिसिंग मिडल. *इकॉनोमिक रिफॉर्मस इन इंडीया: चैलेंजेस, प्रोस्पेक्ट, एण्ड लेसन,* 299.

[6] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, जुलाई 2019.

भारतीय एमएसएमई विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं और उनके उत्पादों / सेवाओं को विदेशों में स्वीकार किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयासों में सुधार के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को जारी रखा जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

II. एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियां

एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रमुख चुनौतियों में भौतिक बुनियादी ढांचागत बाधाएं; औपचारिक रूप न दे पाना; प्रौद्योगिकी अपनाने में सुस्ती बर्तना; क्षमता निर्माण; आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच की कड़ी; ऋण और जोखिम पूंजी तक पहुंच की कमी; और इनके साथ-साथ देरी से भुगतान की सार्वकालिक समस्या शामिल हैं। अब मैं इनमें से कुछ मुद्दों पर विस्तार से बात करता हूं।

बुनियादी ढांचागत बाधाएं व प्रतिस्पर्धा

बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद, एमएसएमई क्लस्टर, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम, अपर्याप्त रूप से आवश्यक समर्थन प्रणालियों से लैस हैं, जो न केवल उनके दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों को बाधित करते हैं, बल्कि उनके भविष्य की विकास की संभावनाओं को भी बाधित करते हैं। जबकि बुनियादी ढांचे की कमी कहानी का केवल एक पहलु है, मेरा मानना है कि प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए एमएसएमई को भी थोड़ा अधिक कार्य करने की जरूरत है। नई तकनीकों को अपनाने के लिए उन्हें अपने निषेध को छोड़ने की जरूरत है; ई-भुगतान स्वीकार करें; और इन-हाउस इन्नोवेशन को बढ़ावा दे जो उन्हें अपने व्यवसायों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करेगा। वैश्विक व्यापार के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, व्यवसाय संचालन की सदियों पुरानी विधियों के साथ कम स्तर की प्रौद्योगिकी अपनाना, उन्हें पैमाने की संभावित अर्थव्यवस्थाओं से दूर रखती हैं। अपने छोटे आकार के कारण उत्पाद विकास, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यनीति में विशेषज्ञता का अभाव उनके आसपास के बदलते परिवेश के अनुकूल होने का दबाव बढ़ाता है। एमएसएमई की कार्यनीति, धीरे-धीरे आकार में विस्तार करने और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन संरचना पर निर्भरता कम करना होनी चाहिए। उनका उद्देश्य अंततः वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना होना चाहिए।

ऋण तक पहुंच और उसे औपचारिक रूप देना

एमएसएमई क्षेत्र के विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उचित लागत पर धन उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। हालांकि, इस क्षेत्र में ऋण वितरण हाल के समय में सुस्त रहा। कुल स्तर पर, बैंकों और एनबीएफसी से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक का कुल क्रेडिट सितंबर, 2019 के अंत तक लगभग ₹16.6 लाख करोड़ था। कुल बकाया क्रेडिट में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 90 प्रतिशत है।

जैसा कि कई एमएसएमई मुख्य रूप से अनौपचारिक दायरे में कार्यरत हैं, विशेष रूप से उनके व्यवसायों के वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में, सूचना विषमता के कारण उनकी साख का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। संपार्श्विक की अनुपस्थिति में, ग्राहक के जोखिम को आंकने के लिए अक्सर उच्च परिचालन लागत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उनके छोटे पैमाने पर संचालन के कारण, एमएसएमई जोखिम पूंजी बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। वे ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आधारित हैं और जिसमें लाभार्थियों की डिजिटल पहचान और उपस्थिति होना आवश्यक है। हालांकि, जीएसटी और जेएएम ट्रिनिटी जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के साथ, अनौपचारिक इकाइयां, हाल के वर्षों में मुख्यधारा के साथ एकीकृत हो रही हैं।

विलंबित भुगतान

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एमएसएमई बड़े उद्योगों की जरूरतों के लिए सहायक इकाई हैं। वे अक्सर विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करते हैं, जिससे उनका नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता प्रभावित होती है। अधिकांश समय, ऐसी प्राप्य राशियां देरी से प्राप्त होने से उनके परिचालन चक्र बाधित होते हैं और नए ऑर्डर प्राप्त करने या मौजूदा को पूरा करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2019 में किए गए एक प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चला है कि विनिर्माण गतिविधियों में लगे एमएसएमई में से 44 प्रतिशत एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा। समय पर भुगतान प्राप्त नहीं करने वाले लोग मुख्य रूप से मूल धातु और धातु उत्पाद, इंजीनियरिंग, निर्माण और बुनियादी ढांचे से संबंधित उद्योगों से संबंधित थे। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र में विलंबित भुगतान 27 प्रतिशत कम था। यहां परिवहन ऑपरेटरों को

ज्यादातर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। यद्यपि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में जुर्माने का प्रावधान हैं, परंतु कमजोर सौदेबाजी क्षमता और व्यापार के खोने का डर एमएसएमई को इस प्रावधान को लागू करने से रोकता है।

III. एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति

एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं और कारकों को समझने के लिए, आरबीआई ने जनवरी 2019 में श्री यू.के सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की और एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत की। अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिशें विस्तृत और व्यापक रूप से विधायी परिवर्तनों; बुनियादी ढांचे का विकास; क्षमता निर्माण; तकनीकी उन्नयन; आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच की कड़ी को बेहतर करना औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सहायता में सुधार; मजबूत जोखिम-अंकन प्रथाओं के लिए नए तकनीकी उपाय; और क्रेडिट वितरण से संबंधित हैं। जबकि समिति की कुछ सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं, अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा विचाराधीन हैं।

IV. आरबीआई द्वारा किए गए उपाय

ऋण प्रवाह को बेहतर करने के उपाय

हाल ही में रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं। बैंक एमएसएमई के औपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत होता है जिसमें बैंकों के ऐसे सभी ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। अगस्त 2019 में, हमने एनबीएफसी क्षेत्र के माध्यम से एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों को और प्रोत्साहन दिया है। नतीजतन, ₹20 लाख प्रति उधारकर्ता तक के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अलावा) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

1 जनवरी 2019 को चूक खाते के रूप में वर्गीकृत लेकिन मानक जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड किए बिना एक बार पुनर्गठन की योजना को अनुमति दी गई थी। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया का वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इस योजना को ऐसे खातों तक विस्तारित किया गया है जो मानक हैं लेकिन 1 जनवरी 2020 को चूक खाते के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं तथा जो खाते पात्र हैं उनका 31 दिसंबर 2020 तक पुनर्गठन किया जाना है। 1 जनवरी 2019 के परिपत्र के प्रावधानों के अंतर्गत जो एमएसएमई पुनर्गठित नहीं की जा सकी तथा इसके बाद दबावग्रस्त हो गई हैं ऐसे पात्र एमएसएमई को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक, बैंकों ने योजना के अंतर्गत 15 लाख पात्र खातों में से 6 लाख खातों का पुनर्गठन किया है। हमारे प्राथमिक सर्वेक्षण ने यह सुझाव दिया है कि एमएसएमई के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी है।

हमने पिछले महीने घोषणा की है कि ऑटोमोबाइल और रिहायशी आवासों के लिए खुदरा ऋण के साथ-साथ वृद्धिशील ऋण के लिए 31 जनवरी 2020 को समाप्त होनेवाले पखवाड़े से 31 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक एमएसएमई को सीआरआर से छूट दी जाएगी।

अक्टूबर 2019 में एक बाह्य बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, मौद्रिक नीति संचरण में सुधार हुआ है तथा सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए नए अस्थायी दर ऋण, बाह्य बेंचमार्क से जोड़े गए। मौद्रिक नीति संचरण को और मजबूत करने की दृष्टि से 01 अप्रैल 2020 से बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को प्रदत्त सभी नए अस्थायी दर ऋणों को भी बाह्य बेंचमार्क से जोड़े जाऐंगे।

विलंबित भुगतान का समाधान

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, भुगतान प्राप्ति में देरी एमएसएमई की सार्वकालिक समस्याओं में से एक है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2014 में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) की शुरुआत की। टीआरडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां एमएसएमई को खरीदारों (बड़े कॉरपोरेट्स, पीएसयू, सरकारी विभागों) से मिलनेवाली प्राप्तियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर कई फाइनेंसरों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह एक नीलामी-आधारित प्रणाली से किया जाता है। टीआरडीएस के दायरे को व्यापक बनाने और अधिक प्रतिभागियों को इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2016 में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों के एक्सपोजर को

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। वर्तमान में रिज़र्व बैंक द्वारा, लाइसेंस प्राप्त तीन इकाइयां [रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), टीआरडीएस तथा मायंड सॉल्यूशंस] दो से अधिक वर्षों से इस मंच का संचालन कर रही हैं। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने हाल ही में टीआरडीएस को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इच्छुक संस्थाओं को 'ऑन टैप' प्राधिकरण की अनुमति दी है। इसलिए, आने वाले वर्षों में, प्राप्तियों की डिस्काउंटिंग में नए प्रतिभागियों के प्रवेश से निश्चित ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कॉर्पोरेट्स की आवश्यकता है, जो टीआरडीएस प्लेटफ़ॉर्म में शामिल हों और सिस्टम को अधिक कुशल बनाएं।

सरकार ने 2018 में ₹ 500 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के लिए टीआरडीएस के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। फरवरी 2020 तक 8211 एमएसएमई विक्रेताओं ने पंजीकरण किया, जबकि केवल 1530 खरीदार प्लेटफार्मों पर भाग ले रहे थे। मैं एसोचैम से अपील करूंगा कि वह अपने सभी सदस्यों को टीआरडीएस प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे।

केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार ने एमएसएमई के विलंबित भुगतानों की समस्या दूर करने के लिए ऐप आधारित चालान वित्तपोषण उत्पादों की घोषणा की है। यह व्यवस्था टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के लिए पूरक साबित हो सकती है और आगे विलंबित भुगतान की समस्या का भी समाधान करेगी।

V. भावी दिशा

एमएसएमई क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है नीतियों के सही निर्धारण की और ऐसे ढांचे को सक्षम करने की जो एमएसएमई को अपनी मौजूदा समस्याओं और उद्यम को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन दे। हालांकि सरकार और आरबीआई दोनों ने वित्त की पहुंच में सुधार और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपाय प्रस्तुत किए हैं, व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे आकार और क्षेत्र के अनौपचारिक स्वरूप के चलते इस क्षेत्र द्वारा चुनौतियों का सामना करना जारी है।

बैंकों की पारंपरिक बैंक ऋण प्रणाली वित्तीय विवरणों और उधारकर्ता की संपार्श्विक पर आधारित है। जीएसटीएन, आयकर, क्रेडिट ब्यूरो, आदि सहित कई स्रोतों से डेटा की बढ़ती उपलब्धता के कारण अब एमएसएमई ऋण प्रस्तावों का समुचित सावधानी के साथ ऑनलाइन शीघ्र मूल्यांकन करना संभव है। इसके अलावा, खाता एग्रीगेटर्स (एए) की सहायता से, उधारदाताओं के पास एक ही स्थान पर संभावित उधारकर्ता की वित्तीय जानकारी उसकी सहमति से मिल सकती है। साथ ही, फिनटेक कंपनियों के सृजन से अज्ञात डेटा स्रोतों जैसे डिजिटल लेनदेन ट्रेल्स, ई-कॉमर्स साइट के माध्यम से सृजित डेटा, आदि का उपयोग करके एमएसएमई की क्रेडिट योग्यता का आकलन करना संभव बना दिया है। कुछ उधारदाता फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए तेजी से ऋण हामीदारी के लिए इस तरह के सरोगेट डेटा का लाभ उठाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये नए आर्किटेक्चर क्रेडिट की पहुंच का विस्तार करेंगे।

डिजिटल रूप से सक्रिय इकाइयों के लिए नए मॉडल फायदेमंद हैं, जबकि एमएसएमई इकाइयों का एक बड़ा वर्ग पारंपरिक ऋण मॉडल के माध्यम से ऋण लेता है। सूक्ष्म उद्यम, उद्यम उपक्रम के शुरुआती चरण के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें प्रौद्योगिकी में कम निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे और मध्यम उद्यमों में परिवर्तित होनेवाली इकाइयों को अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है और स्थिर वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए नए बाजारों का पता लगाना है। हाल के नीतिगत प्रयास एक सक्षम वातावरण प्रदान करेंगे और एमएसएमई क्षेत्र को नए उभरते अवसरों को हासिल करने में सहायता करेंगे। मुझे यह कहना है कि एक विनियामक के रूप में, आरबीआई में हमें वित्त की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करते हुए वित्तीय स्थिरता की रक्षा करनी होगी। बैंकों और अन्य प्रतिभागियों को विवेकपूर्ण उधार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इसके अलावा, आरबीआई में हमने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत कोहॉर्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया है। नवंबर 2019 में पहली बार इस तरह के कोहॉर्ट को 'रिटेल पेमेंट्स' के थीम के साथ लॉन्च किया गया था, ताकि वे बैंकिंग सेवा रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्र के लिए नई भुगतान सेवा ईजाद करने और परीक्षण करने के लिए डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नवोन्मेषन में तेजी ला सके। यथा समय, हम उधार पर ध्यान केंद्रित किए गए कोहॉर्ट के लिए एक विनियामक सैंडबॉक्स का प्रस्ताव करते हैं। यह एमएसएमई ऋण के खंड में नवोन्मेषन को बढ़ावा देगा। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) संबंधी परियोजना,

बुनियादी रूप से सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच में बाधा डालने वाली सूचना विषमता का समाधान करेगी। मूल क्रेडिट सूचना के डेटाबेस के रूप में पीसीआर की कल्पना की गयी है। इस खंड में क्रेडिट गैप कम करने में रजिस्ट्री की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

इस तथ्य को देखते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह आवश्यक है कि उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एकीकृत होना चाहिए क्योंकि यह तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनने का एक अवसर है। जीवीसी का हिस्सा होने से एमएसएमई गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम बनेंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक स्वीकार्यता होगी। क्षेत्र के लिए, सूचना का अभाव, बाजारों का ज्ञान न होना और गुणवत्ता मानकों की कमी जीवीसी से जुड़ने की प्रमुख चुनौतियां हैं। इस संबंध में सभी हितधारकों के बीच सहयोग होना आवश्यक है।

मैं यह दोहराता हूं कि एसोचैम जैसे उद्योग निकायों को अपनी भूमिका के दायरे को बढ़ाकर तेजी से बदलते कारोबारी माहौल के अनुरूप सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथाओं को अपनाने में एमएसएमई की सहायता करनी चाहिए।

मैं एसोचैम को शताब्दी वर्ष के शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं।

धन्यवाद।